छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति, भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट)
रा.व.अनु.एवं प्रशि. सं. परिसर, विधान सभा के पास, बलौदा बाजार रोड़
जीरो पाईट, रायपुर, छ.ग 493111, दूरभाष: 0771-2283249
वेबसाईट : www.cgcert.com ई–मेल: cgcert@gmail.com

पत्र कमांक/सीजीसर्ट/164/04 रायपुर, दिनॉक:21/ 05 / 2026

निरीक्षण, मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण परियोजनाओं के कार्य संपादन अंतर्गत इम्पैनलमेंट के संबंध में

//विज्ञापन सूचना//

छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट) एक जैविक प्रमाणीकरण संस्था है जो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एन.पी.ओ.पी) अंतर्गत राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, (एन.ए.बी) नई दिल्ली से प्रत्यायित है। सीजीसर्ट रायपुर संस्था में निरीक्षण, मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण परियोजना कार्यो के कुशल संचालन हेतु इम्पैनलमेंट आधार पर अनुबंध आधारित प्रमाणीकरण परियोजनाओं के उपलब्धता आवश्यकतानुसार कार्यो के संपादन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। इच्छुक योग्य अभ्यर्थी संस्था की वेबसाईट **www.cgcert.com** का अवलोकन कर दिशा–निर्देश अनुसार निर्धारित प्रपत्र में ई–मेल **cgcert@gmail.com** के माध्यम से दिनॉक 30.05.2026 तक आवेदन कर सकते है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति भारत
वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट)
रायपुर, छत्तीसगढ़

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण कार्यो में कार्मिको के इम्पैनलमेंट हेतु

–::विस्तृत दिशा – निर्देश::–

छ.ग प्रमाणीकरण समिति भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट) वर्तमान में वन विभाग के प्रशासकीय कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर परिसर के प्रशासनिक नियंत्राण में संचालित हो रहा है। सीजीसर्ट का एक्रेडिटेशन (प्रत्यायन) एपिडा, नई दिल्ली, वाणिज्य मंत्रालय, भारत शासन के तहत माह अगस्त वर्ष 2009 में जैविक उत्पादो के प्रमाणीकरण (एकल कृषक, समूह उत्पादन, लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्कृत उत्पाद एवं व्यापार तथा इनपुट अनुमोदन) हेतु प्रत्यायित है तथा एनपीओपी मानक–2024 के अनुसार निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण का कार्य करती है। उक्त संबंध में प्रमाणीकरण, निरीक्षण, मूल्यांकन इत्यादि कार्यो में कार्मिको को अस्थायी रूप से इम्पैनलमेंट हेतु, केवल योग्य इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनॉक 30/05/2026 को सायं 05.00 बजे तक ई–मेल **cgcert@gmail.com** के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र को सीजीसर्ट संस्था की वेबसाईट **www.cgcert.com** पर का अवलोकन किया जा सकता है।

1. **प्रमाणीकरण कार्य अंतर्गत इम्पैनलमेंट किये जाने वाले कार्मिको हेतु शैक्षणिक अर्हता:–**

Name of Post	Qualification	Experience
1	2	3
Evaluator / Field Inspector	Post Graduate in Agriculture / Forestry / Forest Management / Biochemistry / Biotechnology / Food Technology / Microbiology / Environment Science with minimum 60 % marks + Computer diploma from recognized university	At least 02 years of experience in the Field of Organic Production and Certification Programme. Knowledge of NPOP, Organic Inspection, Evaluation & Certification. Or At least 2 years of experience in relevant Government / Semi Government sector in relevant fields i.e. Forestry / Forest Management / Agriculture / Biochemistry / Biotechnology / Food technology / Microbiology / Environment science.
Deputy Field Inspector/ Assistant Evaluator	Post Graduate in Agriculture / Forestry / Forest Management / Biochemistry / Biotechnology / Food Technology / Microbiology / Environment Science with minimum 60 % marks + Computer diploma from recognized university	Experience in relevant Government / Semi Government sector in relevant fields i.e. Forestry / Forest Management / Agriculture / Biochemistry / Biotechnology / Food technology / Microbiology / Environment science.
Data Entry Operator	Graduate from any recognized University with minimum 55 % marks and Computer diploma from recognized university.	Experience in relevant Government / Semi Government sector in relevant fields i.e. Typing (Hindi and English) & MS Office, MIS, Software Handling etc.
Assistant Grade - 3	Graduate from any recognized University with minimum 55 % marks and Computer diploma from recognized university.	Experience in relevant Government / Semi Government sector in relevant fields i.e. Typing (Hindi and English) / Establishment & MS Office, MIS, Software Handling etc.

2.1 कार्यदायित्व :–

2.1.1 **फील्ड इंस्पेक्टर** –सीजसीर्ट में प्रमाणीकरण गतिविधियों के अंतर्गत वार्षिक निरीक्षण योजना अनुसार घोषित, अघोषित, अतिरिक्त एवं जोखिम आधारित निरीक्षण का संपादन करना।

आवश्यकतानुसार, जोखिम आधारित प्रक्षेत्र से नमूना संग्रहण कर कार्यालय को परीक्षण कराने हेतु उपलब्ध कराना। निरीक्षण उपरांत् निरीक्षण प्रतिवेदन सह आवश्यक दस्तावेज मूल्यांकनकर्ता को मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करना। प्रमाणीकरण की विश्वसनीयता बनाये रखने हेतु निरीक्षण दौरान किसी भी ऑपरेटर को सेवा प्रदाता के बतौर सेवा प्रदान नहीं करना।

2.1.2 **मूल्यांकनकर्ता**– सीजसीर्ट में प्रमाणीकरण गतिविधियों के अंतर्गत प्रमाणीकरण, निरीक्षण से संबंधित वार्षिक योजना का प्रांरभिक मूल्यांकन करना एवं वार्षिक निरीक्षण योजना तैयार करना। प्रक्षेत्र निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन का मानक अनुरूप मूल्यांकन करना। निरीक्षण उपरांत प्राप्त अनुपालन का मूल्यांकन एवं सत्यापन करना। रिपोर्ट, स्टॉक परीक्षण एवं सत्यापन पश्चात् स्कोप एवं ट्रॉजेक्शन सर्टीफिकेट जारी करना। मूल्यांकनकर्ता लंबित दस्तावेज, प्रमाणीकरण शुल्क, त्रुटी अनुपालन इत्यादि। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यालयीन कार्यो में सहयोग प्रदान करना।

2.1.3 **सहायक मूल्यांकनकर्ता**– सरल क्रमांक 2.1.2 में उल्लेखित मूल्यांकनकर्ता के सहायक के रूप में। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यालयीन कार्यो में सहयोग प्रदान करना।

2.1.4 **डिप्टी फील्ड इंस्पेक्टर** – सरल क्रमांक 2.1.1 में उल्लेखित फील्ड इंस्पेक्टर के सहायक के रूप में। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यालयीन कार्यो में सहयोग प्रदान करना।

2.1.5 **डाटा एन्ट्री ऑपरेटर** – मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर, मूल्यांकनकर्ता, फील्ड इंस्पेक्टर के सहायक के रूप में, हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकन, कार्यालय सहायक तथा ट्रेसनेट में सहायक के रूप में कार्य।

2.1.6 **सहायक ग्रेड़ 3** – कार्यालय के स्थापना कार्य हेतु तथा एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के सहायक के रूप में कार्य।

3. **पारिश्रमिकः**– इम्पैनलमेंट अंतर्गत विभिन्न निर्धारित श्रेणी अनुसार कार्मिको को अनुमोदित पारिश्रमिक भुगतान हेतु राशि का विवरणः–

क्र.	पद का नाम	पारिश्रमिक
1	मूल्यांकनकर्ता	रू. 1019/– प्रतिदिन परियोजना कार्य दिवस अधिकतम रू. 26490/– प्रति माह
2	फील्ड इंस्पेक्टर	रू. 1019/– प्रतिदिन परियोजना कार्य दिवस अधिकतम रू. 26490/– प्रति माह
3	सहायक मूल्यांकनकर्ता	रू. 898/– प्रतिदिन परियोजना कार्य दिवस अधिकतम रू. 23350/– प्रति माह
4	डिप्टी फील्ड इंस्पेक्टर	रू. 898/– प्रतिदिन परियोजना कार्य दिवस अधिकतम रू. 23350/– प्रति माह
5	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	रू. 898/– प्रतिदिन परियोजना कार्य दिवस अधिकतम रू. 23350/– प्रति माह
6	सहायक ग्रेड – 3	रू. 692/– प्रतिदिन परियोजना कार्य दिवस अधिकतम रू. 18000/– प्रति माह

नोटः–इसके अतिरिक्त निरीक्षण एवं प्रशिक्षण प्रवास हेतु वास्तविक टीए/डीए अतिरिक्त भुगतान देय होगा।

4. **आयु सीमाः**– आवेदक की अधिकतम आयु **01.01.2026** की स्थिति में 55 वर्ष से अधिक न हो।

5. **निवासीः**– छत्तीसगढ़ के स्थानीय तथा वांछित योग्यता एवं अनुभव की शर्तों को पूर्ण करने वाले राज्य के बाहर के उम्मीदवार भी इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन कर सकेंगे।

6. इम्पैनलमेंट में शामिल किये जाने की प्रक्रिया एवं सामान्य दिशा निर्देश –

6.1 इच्छुक अभ्यर्थी संस्था की वेबसाईट **www.cgcert.com** का अवलोकन कर दिये गये प्रारूप में आवेदन **दिनॉक 30/05/2026, सायं 05.00** बजे तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर, विधान सभा के पास, बलौदा बाजार रोड़, जीरो पॉईट, रायपुर, छ.ग – 493111 को केवल ई–मेल के माध्यम से करेंगे। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

6.2 आवेदन अपूर्ण (आवश्यक स्व प्रमाणित संलग्नक सहित) पाये जाने पर आवेदक के आवेदन पर पुर्नविचार नहीं किया जावेगा एवं इस संबंध में उम्मीदवारों को कोई पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।

6.3 एक ही अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पदों में आवेदन की स्थिति में उसे प्राथमिकता कम निर्धारित करना होगा। एक बार इम्पैनलमेंट हेतु चयनित अभ्यर्थी अन्य पद हेतु पात्र नहीं होगें।

6.4 दस्तावेज परीक्षण समिति द्वारा प्राथमिक आवेदन परीक्षण उपरांत् विभिन्न अस्थायी पदों हेतु केवल उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर अंतिम अभिलेख सत्यापन /विटनेस ऑडिट /मूल्यांकन/ साक्षात्कार अथवा परीक्षण हेतु चयन समिति के समक्ष सीजीसर्ट कार्यालय में उपस्थित होने की सूचना संस्था की वेबसाईट **www.cgcert.com** में उपलब्ध करायी जावेगी। इस संबंध में पृथक से किसी भी सूचना अभ्यर्थियों को नहीं दी जावेगी।

6.5 अभिलेख सत्यापन दिनॉक को प्राप्त आवेदनों के आधार पर कार्यालय छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट), रायपुर द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन उपरांत् वांछित मापदण्ड में प्राप्त अंक एवं अनुभव के आधार पर केवल पात्र एवं योग्य अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार कर संबंधित जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीजीसर्ट द्वारा जारी किया जायेगा एवं जारी सूची कार्यालय की वेबसाईट में चस्पा किया जावेगा।

6.6 जैविक प्रमाणीकरण/ मूल्यांकन/ निरीक्षण के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को इम्पैनलमेंट प्रक्रिया के तहत प्राथमिकता दिया जावेगा।

6.7 इम्पैनलमेंट अंतर्गत अस्थायी (06 माह) रूप से शामिल अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि रू. 100/– के गैर – न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत हस्ताक्षरित एवं नोटरीकृत समझौता ज्ञापन सीजीसर्ट में प्रस्तुत करना होगा, तदोपरांत ही इम्पैनलमेंट संबंधित प्रक्रिया की जा सकेगी।

6.8 इम्पैनलमेंट अंतर्गत शामिल किये गये कार्मिक, रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट) कार्यालय को भौतिक रूप उपस्थित होकर ही रिपोर्ट करेंगे ताकि नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

6.9 यह इम्पैनलमेंट पूर्णतः अस्थायी होगी। जैविक प्रमाणन में दक्षता/ कार्य मूल्यांकन, कार्य संतोषप्रद कार्य संतोषप्रद होने एवं कार्यालयीन आंतरिकता की मॉग के आधार पर इम्पैनलमेंट की अवधि

अधिकतम् 06 माह के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुमति से कार्यालय द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।

6.10 जैविक प्रमाणीकरण से संबंधित प्रमाणीकरण कार्यक्रम/कार्यालयीन कार्य इम्पैनल में शामिल अनुबंधित कार्मिक को कार्य की आवश्यकतानुसार ही उपलब्ध कराया जाएगा।

6.11 इम्पैनलमेंट में लिये गये कार्मिको को छत्तीसगढ़ एवं आवश्यकतानुसार अन्य प्रदेशों में निरीक्षण, प्रमाणीकरण अथवा प्रबंधन इत्यादि द्वारा प्रदाय किये का कार्य संपादन अनिवार्यतः करना होगा। इसके साथ कार्मिकों को संस्था द्वारा संपूर्ण राज्य के बाहर किसी भी स्थान पर कार्यालय अथवा सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार क्षेत्र भ्रमण / यात्रा प्रवास किया जाना होगा।

6.12 इम्पैनलमेंट के दौरान उभय पक्षों द्वारा एक माह का पारिश्रमिक अथवा एक माह का नोटिस देकर इम्पैनलमेंट तत्काल समाप्त की जावेगी।

6.13 ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में अनुशासनहीनता/ अनुचित व्यवहार या अनियमितता के आधार पर दंडित किया गया हो वह चयन हेतु पात्र नहीं होगा।

6.14 ऐसे आवेदक जो पूर्व से किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों/ संस्था में संलग्न हों अथवा उक्त की सूचना मिलने की पुष्टि होने पर इम्पैनलमेंट तत्काल निरस्त की जावेगी।

6.15 किसी भी आवेदक द्वारा यदि गलत जानकारी प्रस्तुत की जाती है, तो इम्पैनलमेंट प्रक्रिया के समय अथवा इम्पैनलमेंट होने पश्चात किसी भी समय उसकी इम्पैनलमेंट तत्काल निरस्त की जावेगी।

6.16 इम्पैनलमेंट में शामिल किये गये कार्मिको द्वारा यदि दूरस्थ क्षेत्रों में प्रवास के लिए असहमति दी जाती है तो तत्काल प्रभाव से उनकी अनुबंध समाप्ति की जावेगी।

6.17 यह इम्पैनलमेंट छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति, भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट), रायपुर में किसी भी प्रकार के नौकरी, नियुक्ति या नियमितिकरण का आश्वासन नहीं करता।

6.18 इम्पैनलमेंट की प्रक्रिया प्रमाणीकरण, निरीक्षण एवं मूल्यांकन इत्यादि कार्य के सुचारू संपादन एवं प्रमाणीकरण गतिविधियों के उचित क्रियान्वयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों को सूचीबद्व कर आवश्यकतानुसार रिक्त अथवा आवश्यक पदों की पूर्ति के त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु की गई है।

6.19 सीजीसर्ट की चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीजीसर्ट द्वारा इम्पैनलमेंट हेतु सूची जारी किया जावेगा। चयनित अभ्यर्थी के उपस्थित नहीं होने अथवा इम्पैनलमेंट हेतु असहमति व्यक्त करने की स्थिति में सूची से अगले प्रतिक्षारत अभ्यर्थी को इम्पैनलमेंट किया जा सकेगा।

6.20 इम्पैनलमेंट हेतु जारी विभिन्न पदों के अनुरूप पात्र अभ्यर्थियों की अंतिम सूची अस्थायी रूप से अधिकतम् 03 वर्ष तक ही वैध होगी, तत्पश्चात् स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। पात्र अभ्यर्थियों के इम्पैनलमेंट प्रक्रिया के तहत सूचीबद्ध होने का यह तात्पर्य नही होगा कि उनका चयन हो गया है।

6.21 इम्पैनलमेंट में लिये गये कार्मिको को शासकीय अवकाश के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार के आकस्मिक अथवा ऐच्छिक इत्यादि अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

6.22 विज्ञापन में तथ्यात्मक/लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, जिसकी विधिवत सूचना वेबसाईट **www.cgcert.com** में प्रकाशित होगी। ऐसे त्रुटि सुधार से जारी सूची एवं चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नही होगा।

6.23 इम्पैनलमेंट के संबंध में नियुक्तिकर्ता अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

6.24 ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार या अनियमितता के आधार पर दंडित किया गया हो वह चयन हेतु पात्र नहीं होगा।

6.25 गलत जानकारी प्रस्तुत करने के कारण यदि इम्पैनलमेंट निरस्त की जाती है तो इस के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

7. मूल दस्तावेजों का सत्यापनः–

अंतिम रूप से मूल दस्तावेज सत्यापन दिवस को आवेदक को आवेदन दौरान संलग्न किये गये दस्तावेजों के मूल दस्तावेज सहित कार्यालय छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट), रायपुर में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। जिसमें आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गयी जानकारी एवं मूल दस्तावेजों में अंकित जानकारी समान होने पर ही योग्यतानुसार इम्पैनलमेंट किये जाने हेतु प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट), रायपुर हेतु प्रस्तावित पदों पर साक्षात्कार एवं अभिलेख सत्यापन कार्यालय राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर, रायपुर में होगा।

सत्यापन हेतु मूल दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है :–

7.1 हाईस्कूल अंकसूची की मूलप्रति एवं छायाप्रति।

7.2 हायर सेकेण्ड्री अंकसूची की मूलप्रति एवं छायाप्रति।

7.3 स्नातक, स्नातकोत्तर एवं आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची की मूल एवं छायाप्रति।

7.4 निवासी प्रमाणपत्र की मूलप्रति एवं छायाप्रति।

7.5 फोटो युक्त पहचान पत्र (आधारकार्ड, ड्रायविंग लायसेन्स, पैनकार्ड या कोई भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पहचान कार्ड)।

7.6 अनुभव प्रमाणपत्र की मूलप्रति एवं छायाप्रति।

7.7 अन्य आवश्यक अभिलेख एवं छायाप्रति।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति भारत
वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट)
रायपुर, छत्तीसगढ़